राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं 06
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
rajssaquality@gmail.com, rajssa.training@gmail.com

क्रमांक–रास्कूलशिप/जय/गुणवत्ता/नो बैग डे/2026–27/7466

दिनांक : यथाहस्ताक्षर
03/09/2026

'नो बैग डे' (Joyful Saturday) 2026-27 मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

1. प्रस्तावना / पृष्ठभूमि

1.1 कार्यक्रम का विज़न (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसी शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना करती है जिसमें अधिगम केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रहकर अनुभव, अन्वेषण, संवाद, सृजनात्मकता, समस्या-समाधान तथा स्थानीय परिवेश से सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से जीवनोपयोगी एवं सार्थक बने। इस दृष्टिकोण का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, मूल्यों एवं उत्तरदायित्व का संतुलित विकास करते हुए उन्हें सक्षम, सृजनशील एवं संवेदनशील नागरिक के रूप में विकसित करना है।

इसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया 'नो बैग डे – संभावनाओं का शनिवार' कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षा में गतिविधि-आधारित, अनुभवात्मक एवं विद्यार्थी-केंद्रित अधिगम को सुदृढ़ करने की एक अभिनव पहल है। वर्ष 2020 से संचालित यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को नियमित शैक्षणिक दिनचर्या, पाठ्यक्रमीय दबाव तथा परीक्षा-जनित तनाव से आंशिक विराम प्रदान करते हुए उन्हें सीखने के वैकल्पिक एवं जीवनोपयोगी अवसर उपलब्ध कराता है।

यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर तथा स्थानीय समुदाय के विविध संसाधनों से जोड़ते हुए कला, संस्कृति, विज्ञान, खेल, पर्यावरण, करियर शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता तथा जीवन-कौशल आधारित गतिविधियों के माध्यम से समग्र विकास के अवसर प्रदान करता है। साथ ही विद्यालयों को आनंददायी, समावेशी एवं नवाचारी अधिगम केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होता है।

1.2 कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य

'नो बैग डे – संभावनाओं का शनिवार' कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1.2.1 गतिविधि आधारित एवं अनुभवात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करना

विद्यार्थियों को कक्षा-कक्ष की सीमाओं से बाहर विविध गतिविधियों, परियोजनाओं, स्थानीय संसाधनों तथा वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना।

1.2.2 21वीं सदी के कौशलों का विकास

विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता, सहयोग, संप्रेषण, समस्या-समाधान, नेतृत्व, निर्णय क्षमता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे आवश्यक कौशलों का विकास करना।

1.2.3 समग्र व्यक्तित्व विकास एवं मूल्य संवर्धन

बाल-केंद्रित एवं समावेशी शिक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में मानवीय, संवैधानिक, नैतिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों का संवर्धन करना।

1.2.4 करियर जागरूकता एवं जीवनोपयोगी अधिगम को सुदृढ़ करना

विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों, स्थानीय आजीविकाओं, उच्च शिक्षा एवं करियर विकल्पों से परिचित कराते हुए विवेकपूर्ण करियर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना।

1.2.5 समुदाय एवं स्थानीय संसाधनों से जुड़ाव स्थापित करना

विद्यालय, अभिभावकों, स्थानीय विशेषज्ञों, संस्थाओं तथा समुदाय के मध्य सहभागिता को प्रोत्साहित कर अधिगम को स्थानीय संदर्भों से समृद्ध बनाना।

1.2.6 आनंददायी एवं समावेशी विद्यालयी वातावरण का निर्माण

विद्यालयों को ऐसे प्रेरणादायी अधिगम केंद्र के रूप में विकसित करना जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी सहभागिता, अनुभव, नवाचार एवं सहयोग के माध्यम से अपनी संभावनाओं का विकास कर सके।

1.2.7 उत्तरदायी एवं सक्षम नागरिकों का निर्माण

विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, सामाजिक दायित्व, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सतत विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हुए उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम नागरिक के रूप में तैयार करना।

2. लक्षित समूह एवं कार्यक्रम की समय-सारणी

2.1 विद्यार्थी समूह

'नो बैग डे – संभावनाओं का शनिवार' कार्यक्रम को विद्यार्थियों की आयु, कक्षा तथा संज्ञानात्मक एवं अधिगम स्तर के अनुरूप अधिक प्रभावी एवं बाल-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को निम्नलिखित पाँच समूहों में वर्गीकृत किया गया है—

समूह	कक्षाएँ
अंकुर	कक्षा 1–2
प्रवेश	कक्षा 3–5
दिशा	कक्षा 6–8
क्षितिज	कक्षा 9–10
उन्नति	कक्षा 11–12

प्रत्येक समूह के लिए आयु, रुचि, अधिगम स्तर तथा अपेक्षित दक्षताओं के अनुरूप गतिविधियों का चयन एवं संचालन किया जाएगा।

2.2 कार्यक्रम के आयोजन दिवस

शैक्षणिक सत्र 2026–27 में 'नो बैग डे – संभावनाओं का शनिवार' कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय स्तर पर प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को किया जाएगा।

इन निर्धारित दिवसों पर विद्यार्थी नियमित पाठ्यपुस्तकों एवं विद्यालयी बस्ते के स्थान पर गतिविधि-आधारित अधिगम में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम का संचालन राज्य स्तर पर निर्धारित वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के अनुसार किया जाएगा।

2.3 कार्यक्रम की समय-सारणी

कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए शनिवार के विद्यालय समय को दो गतिविधि सत्रों में विभाजित किया जाएगा—

(क) मध्याह्न-पूर्व सत्र (Pre-Lunch Session): निर्धारित मासिक थीम अथवा विषय के अनुरूप लगभग 60 मिनट की गतिविधि आयोजित की जाएगी।

(ख) मध्याह्न-पश्चात् सत्र (Post-Lunch Session): भोजनावकाश के उपरान्त विद्यार्थियों के स्तरानुसार लगभग 60 मिनट की रचनात्मक, कौशल-आधारित अथवा अनुभवात्मक गतिविधि आयोजित की जाएगी।

आवश्यकतानुसार विद्यालय स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप गतिविधियों के समय में समुचित परिवर्तन कर सकते हैं, किन्तु निर्धारित अधिगम उद्देश्यों एवं गतिविधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

3. वार्षिक एवं मासिक गतिविधि योजना

3.1 वार्षिक गतिविधि कैलेंडर

शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु जुलाई से मार्च तक की विस्तृत वार्षिक गतिविधि योजना तैयार की गई है। प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार के लिए समूहवार एवं स्तरानुसार गतिविधियों का निर्धारण किया गया है।

गतिविधियों का चयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना, अनुभवात्मक अधिगम, गतिविधि-आधारित शिक्षण, करियर शिक्षा, जीवन-कौशल, स्थानीय संदर्भों तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

3.2 विशेष जागरूकता दिवस एवं विषयगत गतिविधियाँ

वार्षिक गतिविधि योजना में नियमित रचनात्मक एवं कौशल-आधारित गतिविधियों के साथ-साथ राष्ट्रीय, सामाजिक, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक एवं संवैधानिक महत्त्व के विषयों का भी समावेश किया गया है।

इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों में जागरूकता, संवेदनशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नागरिक उत्तरदायित्व तथा सकारात्मक व्यवहार का विकास करना है।

आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अभियानों, महत्त्वपूर्ण दिवसों तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विषयगत गतिविधियों का समावेश भी किया जा सकेगा।

4. विद्यालय स्तरीय संचालन प्रक्रिया

4.1 विद्यालय में अधिगमपरक वातावरण का निर्माण

'नो बैग डे – संभावनाओं का शनिवार' के आयोजन दिवस पर विद्यालय का वातावरण भयमुक्त, आनंददायी, सहभागितापूर्ण एवं प्रेरणादायी होना चाहिए। इस दिन विद्यालय केवल औपचारिक शिक्षण का केंद्र न होकर अनुभवात्मक अधिगम, रचनात्मक अभिव्यक्ति, सहयोगात्मक कार्य तथा जीवन-कौशल विकास का सक्रिय मंच बने।

कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रार्थना सभा अथवा सामूहिक संवाद से किया जाए, जिसमें दिवस की थीम, गतिविधियों के उद्देश्य तथा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता के महत्त्व से परिचित कराया जाए।

4.2 स्तरानुकूल एवं लचीला गतिविधि संचालन

गतिविधियों का संचालन विद्यार्थियों की आयु, अधिगम स्तर, रुचि, क्षमता तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

शिक्षक आवश्यकता अनुसार एक ही गतिविधि के विभिन्न कठिनाई स्तर निर्धारित कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप सहभागिता कर सके।

उदाहरणार्थ— चित्रकला गतिविधि में प्रारम्भिक स्तर के विद्यार्थियों को रंग भरने अथवा सरल चित्र बनाने का अवसर दिया जा सकता है, जबकि उच्च स्तर के विद्यार्थियों को स्वतंत्र चित्रांकन, विवरण लेखन अथवा प्रस्तुतीकरण का कार्य दिया जा सकता है।

4.3 स्थानीय संसाधनों एवं कम लागत वाली सामग्री का उपयोग

गतिविधियों के संचालन में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक, पुनः उपयोग योग्य (Reusable) तथा कम लागत अथवा बिना लागत (Low-cost/No-cost) वाली सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता दी जाए।

पुरानी प्लास्टिक बोतलें, गत्ते, समाचार-पत्र, अनुपयोगी वस्त्र, बीज, मिट्टी, सूखी टहनियाँ, बोतलों के ढक्कन तथा अन्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर विद्यार्थियों में नवाचार, संसाधन-संरक्षण तथा पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की भावना विकसित की जाए।

4.4 विद्यालय परिसर एवं समुदाय आधारित अधिगम

अधिगम को कक्षा-कक्ष तक सीमित न रखते हुए विद्यालय परिसर, स्थानीय समुदाय एवं प्राकृतिक परिवेश से जोड़ा जाए।

आवश्यकतानुसार नेचर वॉक, विद्यालय परिसर अवलोकन, पौधारोपण, परिंडे लगाना, पुस्तकालय भ्रमण, स्थानीय शिल्पकारों से संवाद, डाकघर, बैंक, स्वास्थ्य संस्थान अथवा अन्य स्थानीय संस्थानों के शैक्षणिक भ्रमण जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है।

5. हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु विभिन्न हितधारकों के उत्तरदायित्व निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं—

5.1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की भूमिका-

- स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा जारी निर्देशों की पहुँच विद्यालय स्तर तक सुनिश्चित करवाना तथा NBD कार्यक्रम के लिए प्रभारी नियुक्त करना ।
- विद्यालयों में कार्यक्रम की SOP अनुसार सत्रों का आयोजन निश्चित समयावधि में करवाने हेतु प्रभावी मानिटरिंग करना ।
- मासिक समीक्षा बैठक में कार्यक्रम के संचालन, प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा करना ।
- विद्यालय अवलोकन के दौरान कक्षावार विद्यार्थियों से संपर्क कर चर्चा करें, विद्यार्थियों के अनुभव सुनें, गतिविधि के दौरान आ रही चुनौतियों पर बात करें एवं अवलोकन रजिस्टर के माध्यम से फीडबैक प्रदान करना |

5.2 डाइट प्रधानाचार्य के रूप में-

- जिले में NBD कार्यक्रम हेतु विद्यालय स्तर पर संबलन प्रदान करना ।
- विद्यालय अवलोकन के दौरान विद्यार्थियों से संपर्क कर चर्चा करें एवं विद्यार्थियों के अनुभव सुनें, गतिविधि के दौरान आ रही चुनौतियों पर बात करें व समाधान हेतु रोल मोडलिंग करे |
- ब्लॉक स्तर के प्राप्त केस स्टडी को फाइनल कर राज्य स्तर पर प्रेषित करना । केस स्टडी का प्रारूप परिषद स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा।

5.3 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में-

- स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा जारी निर्देशों की पहुँच विद्यालय स्तर तक सुनिश्चित करवाना तथा NBD कार्यक्रम के लिए प्रभारी नियुक्त करना ।
- विद्यालयों में NBD कार्यक्रम की SOP अनुसार सत्रों का आयोजन निश्चित समयावधि में करवाने हेतु प्रभावी मानिटरिंग करना ।
- मासिक समीक्षा बैठक में कार्यक्रम के संचालन, प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा करना ।
- विद्यालय अवलोकन के दौरान विद्यार्थियों से संपर्क कर चर्चा करें एवं विद्यार्थियों के अनुभव सुनें, गतिविधि के दौरान आ रही चुनौतियों पर बात करें एवं अवलोकन रजिस्टर के माध्यम से फीडबैक प्रदान करना |

5.4 संस्था प्रधान

- विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम का समग्र नियोजन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना।
- विद्यालय स्तरीय कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना।
- आवश्यक संसाधनों एवं व्यवस्थाओं का समन्वय करना।
- विद्यार्थियों की सुरक्षा, समावेशन एवं अनुशासन सुनिश्चित करना।
- कार्यक्रम के अनुश्रवण, अभिलेखीकरण एवं प्रतिवेदन की समीक्षा करना।
- विद्यालय स्तर पर व्यापक करियर शिक्षा मार्गदर्शन कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।
- विद्यालय स्तर से 2 करियर शिक्षकों (एक शिक्षक कक्षा 9 से 10 हेतु एवं 1 शिक्षक कक्षा 11 से 12 हेतु) को नामित किया जाये ।
- निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राज्यस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक RajKaj Ref No.: 21996142 दिनांक 05.05.2026 के अनुसार प्रत्येक माह No Bag Day के द्वितीय एवं चौथे शनिवार को करियर मार्गदर्शन अथवा नो बैग डे दिशा-निर्देश के अनुसार करियर सत्रों का कक्षा में आयोजन सुनिश्चित करना।

5.5 नो बैग डे प्रभारी

- मासिक गतिविधि योजना के क्रियान्वयन का समन्वय करना।
- समूह प्रभारियों के मध्य कार्यों का समुचित विभाजन सुनिश्चित करना।
- आवश्यक शिक्षण-अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- गतिविधियों के दस्तावेजीकरण एवं प्रतिवेदन का संधारण करना।

5.6 समूह प्रभारी

- निर्धारित समूह के विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- गतिविधियों का संचालन एवं मार्गदर्शन करना।
- विद्यार्थियों की प्रगति एवं सहभागिता का अवलोकन करना।
- गतिविधि उपरान्त संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार करना।

5.7 शिक्षक (सुविधादाता एवं मार्गदर्शक)

शिक्षक पारंपरिक अध्यापक के स्थान पर अधिगम के सुविधादाता (Facilitator) एवं मार्गदर्शक (Mentor) की भूमिका निभाएँगे। वे—

- गतिविधियों की पूर्व तैयारी सुनिश्चित करेंगे।
- विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सीखने एवं अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करेंगे।
- सुरक्षित एवं समावेशी अधिगम वातावरण बनाए रखेंगे।
- गतिविधि के अंत में पुनरावलोकन (Reflection) एवं अधिगम प्रतिफलों पर चर्चा करेंगे।

5.8 करियर मार्गदर्शक (कक्षा 9–12)

- करियर शिक्षा गतिविधियों का संचालन करना।
- विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुख अवसरों से परिचित कराना।
- विद्यार्थियों की रुचि एवं अभिरुचि के अनुरूप करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान करना।
- आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों एवं संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
- वार्षिक करियर पंचांग के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक करियर सत्रों का नियमित एवं समयबद्ध संचालन करना।
- "सफर" कार्यपुस्तिका, करियर की खोज पुस्तक, करियर कार्ड्स / पोर्टल एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से गतिविधि आधारित सत्र आयोजित करना।
- करियर पोर्टल, डिजिटल संसाधनों एवं संदर्भ वीडियो का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।
- DIKSHA पोर्टल पर उपलब्ध करियर मार्गदर्शक शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण करना तथा RSCERT एवं समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित वेबिनारों में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- कार्यस्थल भ्रमण (Workplace Visits), विशेषज्ञ वार्ताएँ, पूर्व छात्र संवाद (Alumni Interaction) एवं अन्य करियर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित करवाना। जिससे विद्यार्थियों को स्थानीय एवं उभरते करियर अवसरों की जानकारी उपलब्ध करवायी जा सके।

5.9 विद्यार्थी

- गतिविधियों में सक्रिय, अनुशासित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण सहभागिता करना।
- समूह कार्यों में सहयोग, नेतृत्व एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना।
- विद्यालय एवं समुदाय की सम्पत्ति तथा संसाधनों का संरक्षण करना।

5.10 विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC/SDMC) एवं अभिभावक

- कार्यक्रम के संचालन में विद्यालय को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- स्थानीय संसाधनों, विशेषज्ञों एवं सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
- विद्यार्थियों की नियमित सहभागिता एवं प्रेरणा सुनिश्चित करना।

5.11 स्थानीय समुदाय एवं विषय विशेषज्ञ

- विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शिल्पकारों, उद्यमियों, स्वास्थ्यकर्मियों, कृषि विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा अन्य स्थानीय व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार आमंत्रित कर विद्यार्थियों के साथ संवाद एवं अनुभव साझा कराया जा सकता है।
- स्थानीय ज्ञान, परंपराओं एवं जीवनोपयोगी कौशलों को गतिविधियों से जोड़ने में सहयोग प्रदान किया जाए।

6. गतिविधियों के संचालन की चरणबद्ध प्रक्रिया

'नो बैग डे – संभावनाओं का शनिवार' के प्रभावी, व्यवस्थित एवं उद्देश्यपरक संचालन हेतु गतिविधियों को तीन चरणों में संपादित किया जाएगा।

6.1 गतिविधि पूर्व (Pre-Activity)

(क) गतिविधि की योजना एवं संसाधन व्यवस्था: शिक्षक गतिविधि के आयोजन से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे तथा आवश्यक शिक्षण-अधिगम सामग्री, स्थानीय संसाधनों एवं कम लागत अथवा बिना लागत (Low-cost/No-cost) सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(ख) समूह गठन: गतिविधि की प्रकृति, विद्यार्थियों की संख्या, आयु एवं अधिगम स्तर को ध्यान में रखते हुए छोटे-छोटे समूह गठित किए जाएंगे, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को सक्रिय सहभागिता एवं नेतृत्व का अवसर प्राप्त हो।

(ग) सुरक्षा व्यवस्था: गतिविधियों में प्रयुक्त उपकरणों, सामग्रियों एवं संसाधनों के सुरक्षित उपयोग हेतु आवश्यक सावधानियाँ अपनाई जाएँगी। विज्ञान प्रयोग, शिल्प कार्य अथवा भ्रमण जैसी गतिविधियों के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

6.2 गतिविधि के दौरान (During Activity)

(क) प्रेरक संवाद: गतिविधि के प्रारम्भ में शिक्षक विषय से संबंधित प्रेरक संवाद, प्रश्नोत्तरी, लघु कथा, कविता अथवा अन्य उपयुक्त माध्यमों से विद्यार्थियों की रुचि एवं जिज्ञासा जागृत करेंगे।

(ख) गतिविधि संचालन: गतिविधियों का संचालन विद्यार्थियों की आयु, रुचि एवं अधिगम स्तर के अनुरूप किया जाएगा। शिक्षक मार्गदर्शक एवं सुविधादाता की भूमिका निभाते हुए विद्यार्थियों को स्व-अन्वेषण, सहयोगात्मक अधिगम एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

(ग) प्रस्तुतीकरण एवं सहभागिता: गतिविधि के समापन पर प्रत्येक समूह अथवा चयनित विद्यार्थियों को अपने कार्य, मॉडल, पोस्टर, भूमिका-अभिनय अथवा अन्य सृजनात्मक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन एवं संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

6.3 गतिविधि उपरांत (Post-Activity)

(क) पुनरावलोकन (Reflection): गतिविधि के उपरांत शिक्षक विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हुए उनके अनुभव, अधिगम, चुनौतियों एवं प्रमुख निष्कर्षों पर पुनरावलोकन करेंगे।

(ख) अधिगम प्रतिफलों का आकलन: गतिविधि के माध्यम से विकसित ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण एवं सहभागिता का गुणात्मक अवलोकन किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक सुझाव दिए जाएँगे।

(ग) दस्तावेजीकरण एवं प्रतिवेदन: नो बैग डे प्रभारी द्वारा गतिविधियों का आवश्यक अभिलेखीकरण किया जाएगा, जिसमें उपस्थिति, फोटोग्राफ, वीडियो, विद्यार्थियों के कार्य, नवाचार एवं निर्धारित प्रारूपानुसार गतिविधि प्रतिवेदन सम्मिलित होगा।

7. विशेष गतिविधियाँ : करियर शिक्षा एवं मार्गदर्शन (कक्षा 9–12)

कक्षा 9 से 12 (क्षितिज एवं उन्नति समूह) के विद्यार्थियों के लिए करियर शिक्षा एवं मार्गदर्शन 'नो बैग डे – संभावनाओं का शनिवार' का अभिन्न अंग होगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी रुचि, क्षमता एवं उपलब्ध शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों के संबंध में जागरूक एवं सक्षम बनाना है। करियर सत्र विद्यालय समय-सारणी में निर्धारित अवधि, सह-शैक्षणिक गतिविधियों अथवा समय.-सारिणी में समावेशित कालांश के माध्यम से संचालित किए जाएँ ताकि शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित किए बिना विद्यार्थियों को नियमित करियर मार्गदर्शन उपलब्ध किया जाएगा।

7.1 रुचि एवं क्षमता की पहचान

विद्यार्थियों को स्व-मूल्यांकन, रुचि-अभिरुचि गतिविधियों तथा उपलब्ध करियर मार्गदर्शन संसाधनों के माध्यम से अपनी रुचियों, क्षमताओं एवं संभावनाओं की पहचान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्हें कक्षा 10 एवं 12 के पश्चात उपलब्ध विभिन्न शैक्षिक, व्यावसायिक एवं कौशल विकास विकल्पों से व्यवस्थित रूप से परिचित कराया जाएगा।

7.2 करियर संवाद एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शन

विद्यालय स्तर पर आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों, उद्यमियों, स्वास्थ्यकर्मियों, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों तथा स्थानीय व्यवसायियों को आमंत्रित कर करियर संवाद आयोजित किए जा सकते हैं। शैक्षणिक मार्गदर्शन पंचांग के अनुसार करियर शिक्षकों द्वारा निर्धारित कक्षा-वार करियर सत्रों एवं गतिविधियों का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जावेगा।

संवाद के दौरान विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे तथा विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान करेंगे।

7.3 अनुभवात्मक करियर परिचय

जहाँ संभव हो, विद्यार्थियों के लिए स्थानीय उद्योगों, सेवा संस्थानों, कृषि उद्यमों, बैंक, डाकघर, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कौशल विकास संस्थानों अथवा अन्य उपयुक्त कार्यस्थलों का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया जा सकता है।

ऐसी गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को वास्तविक कार्यपरिवेश, विविध व्यवसायों एवं रोजगार अवसरों से परिचित कराना होगा।

7.4 करियर पोर्टफोलियो

विद्यार्थियों को अपनी रुचियों, उपलब्धियों, गतिविधियों, प्रमाण-पत्रों, करियर लक्ष्यों एवं भविष्य की कार्ययोजना का संकलन करते हुए व्यक्तिगत करियर पोर्टफोलियो विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

7.5 करियर शिक्षा सामग्री का उपयोग

RSCERT द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों हेतु आवश्यक करियर शिक्षा सामग्री विकसित की गई है, उनको विद्यालयों में करियर सत्र संचालन में उपयोग किया जावेगा।

7.6 करियर वेबिनार

राजस्थान करियर वार्षिक शैक्षणिक मार्गदर्शन पंचांग के अनुसार राज्य स्तर पर करियर वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। वेबिनार के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों, पाठ्यक्रमों, भविष्य की संभावनाओं एवं विशेषज्ञ अनुभवों से अवगत कराया जाएगा। विद्यालय स्तर पर करियर शिक्षकों एवं संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकतम विद्यार्थी वेबिनार से जुड़ें तथा सक्रिय रूप से सहभागिता करें।

8. बाल संरक्षण एवं विद्यालय सुरक्षा

'नो बैग डे – संभावनाओं का शनिवार' के अंतर्गत गतिविधियों का संचालन इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, समावेशी, सम्मानजनक एवं भयमुक्त अधिगम वातावरण उपलब्ध हो।

8.1 भौतिक सुरक्षा

गतिविधियों के संचालन के दौरान प्रयुक्त उपकरणों, सामग्रियों एवं संसाधनों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। विज्ञान प्रयोग, शिल्प कार्य, खेल अथवा भ्रमण जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों की आयु एवं क्षमता के अनुरूप आवश्यक सावधानियाँ अपनाई जाएँगी।

8.2 बाल संरक्षण एवं सुरक्षित व्यवहार

विद्यार्थियों, विशेषकर बालकों एवं बालिकाओं को आयु-उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तिगत सुरक्षा, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श (Safe Touch/Unsafe Touch), सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा किसी भी अनुचित व्यवहार की सूचना संबंधित शिक्षक अथवा अभिभावक को देने के प्रति जागरूक किया जाएगा।

विद्यालय में बाल संरक्षण से संबंधित विभागीय दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

8.3 साइबर सुरक्षा एवं नशा निषेध जागरूकता

आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन जोखिमों से बचाव तथा उत्तरदायी इंटरनेट उपयोग के संबंध में जागरूक किया जाएगा।

इसी प्रकार तंबाकू, नशीले पदार्थों एवं अन्य व्यसनों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता विकसित करने हेतु विषयानुकूल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

8.4 प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन तैयारी

विद्यालय में प्राथमिक उपचार किट (First Aid Kit) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बाह्य गतिविधियों अथवा भ्रमण के दौरान संभावित आपात परिस्थितियों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध एवं उत्तरदायी कार्मिक उपलब्ध रहेंगे।

8.5 समावेशी व्यवस्था

गतिविधियों का संचालन इस प्रकार किया जाएगा कि दिव्यांग (CWSN) सहित सभी विद्यार्थी अपनी क्षमता एवं आवश्यकता के अनुरूप सम्मानपूर्वक एवं सक्रिय रूप से सहभागिता कर सकें।

9. अनुश्रवण, गुणवत्ता आश्वासन एवं वित्तीय प्रावधान

9.1 अनुश्रवण एवं शैक्षणिक सहयोग

कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विद्यालय, पीईईओ/यूसीईओ, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।

अनुश्रवण का उद्देश्य केवल निरीक्षण न होकर विद्यालयों को शैक्षणिक सहयोग, मार्गदर्शन एवं गुणवत्तापूर्ण गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना होगा।

9.2 गुणवत्ता आश्वासन

कार्यक्रम की गुणवत्ता का आकलन निम्न संकेतकों के आधार पर किया जाएगा—

- विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता
- गतिविधियों की गुणवत्ता
- समावेशिता
- करियर शिक्षा का प्रभावी संचालन
- स्थानीय संसाधनों का उपयोग
- नवाचार एवं सृजनात्मकता
- सुरक्षा मानकों का अनुपालन
- अभिलेखीकरण एवं प्रतिवेदन की गुणवत्ता

9.3 वित्तीय प्रावधान

कार्यक्रम के संचालन में स्थानीय एवं कम लागत अथवा बिना लागत (Low-cost/No-cost) संसाधनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।

यदि विभाग द्वारा इस कार्यक्रम हेतु पृथक् वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है, तो उसका उपयोग स्वीकृत मदों के अनुसार किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेख निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप प्रस्तुत किए जाएँगे।

10. दस्तावेजीकरण एवं प्रतिवेदन

10.1 गतिविधि प्रतिवेदन

प्रत्येक निर्धारित 'नो बैग डे' के उपरांत विद्यालय स्तर पर निर्धारित प्रारूप में गतिविधि प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, जिसमें आयोजित गतिविधियों, विद्यार्थियों की सहभागिता, प्रमुख उपलब्धियों एवं विशेष टिप्पणियों का संक्षिप्त विवरण अंकित किया जाएगा।

10.2 अभिलेखीकरण

विद्यालय द्वारा गतिविधियों से संबंधित आवश्यक अभिलेखों का व्यवस्थित संधारण किया जाएगा, जिनमें निम्न सम्मिलित होंगे।

- उपस्थिति विवरण
- गतिविधि प्रतिवेदन
- फोटोग्राफ एवं वीडियो
- विद्यार्थियों के उत्कृष्ट कार्य
- नवाचार एवं स्थानीय श्रेष्ठ पहल

10.3 डिजिटल अभिलेखीकरण एवं श्रेष्ठ प्रथाएँ

विद्यालय स्तर पर विकसित उत्कृष्ट गतिविधियों, नवाचारों एवं विद्यार्थियों के उल्लेखनीय कार्यों का डिजिटल अभिलेखीकरण किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार इन्हें ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रथाओं (Best Practices) के रूप में साझा किया जा सकेगा।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(डॉ. रश्मि शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त

क्रमांक–रास्कूलशिप/जय/गुणवत्ता/नो बैग डे/2026–27/7466 दिनांक : यथाहस्ताक्षर 03/09/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
5. अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम एवं द्वितीय समग्र शिक्षा, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, रास्कूशिप, जयपुर।
7. उपायुक्त, पीएमश्री एवं प्लान रास्कूशिप, जयपुर।
8. जिला प्रभारी, समस्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेजकर लेख है कि दिशा–निर्देश को समग्र शिक्षा की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
10. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
12. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
13. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
14. PEEO/UCEEO समस्त।
15. कार्यालय प्रति।